न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 678/2016

1. रामलाल पुत्र गंगाबक्स
2. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. गणेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
4. मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. प्रभुदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
7. रूघनाथ पुत्र हनुमान
8. हरदेव पुत्र हनुमान
9. शंकरलाल पुत्र हनुमान
10. सागरमल पुत्र हनुमान

समस्त जाति अहीर निवासीः खेडी मिल्क, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये–
   - अ. श्रीमान जिलाधीश महोदय, जयपुर जिला जयपुर।
   - ब. तहसीलदार तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2012 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर, वाद संख्या 13/2012 उनवानी रामलाल बनाम सरकार अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

श्री अनिल कुमार एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 09/12/2019

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर वाद संख्या 13/2012 बउनवानी रामलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 24.07.2012 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण संख्या 1 लगायत 10 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं स्वर्गीय गंगाबक्स के वंशज है। लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाबक्स का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान वादीगण संख्या 2 लगायत 6 है व हनुमान पुत्र गंगाबक्स का भी स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान वादीगण संख्या 7 लगायत 10 है। आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 8 बीघा बारानी 2 वाके ग्राम खेडी मिल्क, तहसील फुलेरा जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जयपुर में स्थित है जो वादीगण के बुजुर्गो की छोडी हुई कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। ग्राम खोडी मिल्क जागीर का गांव था जागीर के जमाने में वादीगण के बुजुर्ग काश्त करते थे व लगान जरिये लटाई जागीरदार को लौटाते थे। चूंकि काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के समय एवं सेटलमेन्ट के समय संवत् 2011 के समय भी वादीगण व उनके बुजुर्ग लक्ष्मीनारायण, हनुमान काबिज काश्त थे अर्थात लक्ष्मीनारायण हनुमान, रामलाल तीनो समान भाग पर काबिज काश्त थे, उनके स्वर्गवास के बाद लक्ष्मीनारायण व हनुमान के वारिसान व वादी नंबर 1 काबिज है। विवादग्रस्त आराजीयात का प्रथम सेटलमेन्ट संख्या 2011 में जो पर्चे जारी किये गये तो अन्य आराजीयात का पर्चा तो वादीगण के बुजुर्गो के नाम जारी कर दिया गया किन्तु विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 8 बीघा वाके खेडी मिल्क का पर्चा सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से रामदेव के नाम जारी कर दिया गया जबकि उक्त आराजी पर रामेदेव कुम्हार नाम के व्यक्ति का किसी भाग पर कब्जा नहीं रहा न कभी काश्त की, न लगान अदा किया न वर्तमान में काबिज है, अपितु वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट व उसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय व उसके बाद बराबर वादीगण का बहैसियत खातेदार काश्तकार जागीरी के समय से चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादीगण आराजीयात पर जागीरी के समय से काबिज काश्तचले आ रहे है व वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय काबिज काश्त होने से वादीगण का बुजुर्गो से कब्जा 12 साल से अधिक अर्से से होने से वादीगण का एडपर्स पजेशन हो चुका है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार भी वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके है। इस कारण वादीगण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 35 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा खेडी मिल्क तहसील फुलेरा जिला जयपुर जो वादीगण के बुजुर्गो की कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादी संख्या 1 रामलाल 1/3 हिस्से का वादीगण संख्या 2 लगायत 3 लगायत 6 लक्ष्मीनारायण के वारिस है 1/3 हिस्से के एवं वादीगण संख्या 7 लगायत 10 जो हनुमान पुत्र गंगाबक्स के वारिस है 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है व रिकॉर्ड में रामदेव पुत्र कुम्हार को जो गलत अंकन हुआ है, को हजफ फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा कारित न करे, न बेदखल करे, न ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 24.07.2012 को वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट/वादी की पुश्तैनी आराजीयात है जो जागीरी के समय से अपीलान्ट के पूर्वजो के नाम रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् पर्चा सेटलमेन्ट में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

त्रुटि से आराजीयात रामदेव के नाम दर्ज हो गयी जबकि ग्राम में रामदेव नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलान्ट ने अपने वाद को साबित करने के लिये गवाह के बयानात करवाये थे एवं पर्याप्त सबूत पेश किये थे किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहात के बयानात को दरकिनार करते हुये मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी न दिये जाने का अंकन करते हुये वादी वाद खारिज कर दिया। वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट के पूर्वजो के समय से अपीलान्ट व पूर्वजो की आराजीयात रही है जिस पर वे काबिज रहे है एवं अपीलान्ट काबिज है। इस कारण मात्र राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होने से अपीलान्ट से उसके खातेदारी अधिकार छीने नहीं जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यो के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2012 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि वादग्रस्त भूमि रामदेव पुत्र नामालूम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि लावारिस भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सही निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.07.2012 के माध्यम से खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि खसरा नंबर 35 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का पर्चा संवत् 2011 में रामेदव कुम्हार नाम के व्यक्ति के नाम से जारी हुआ था। वादीगण द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर जागीर के जमाने से काश्त किये जाने के आधार पर खातेदारी चाही गई। वादीगण द्वारा कब्जे काश्त बाबत प्रदर्श–पी 6 गिरदावरी संवत् 2012 प्रस्तुत की गई। गिरदावरी संवत् 2012 के विशेष विवरण में वादीगण के पूर्वज गंगाबक्श का नाम अंकित है। चूंकि रामदेव कुम्हार के विवादग्रस्त भूमि पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 में आया था। वरवक्त पर्चा संवत् 2011 में विवादग्रस्त आराजीयात पर खसरा गिरदावरी संवत् 2011 प्रदर्श–6 के अनुसार भूरा, भागीरथ, पन्ना, झूथा वगैराह जाति मीना का विशेष विवरण में इन्द्राज है तो ऐसी स्थिति में पर्चा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के पूर्वज का कब्जा काश्त किस प्रकार हुआ, यह साबित करने में वादीगण असफल रहे है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खसरा गिरदावरी इत्यादि में भी वादीगण के पूर्वज का विशेष विवरण में अंकन संवत् 2012 से होना पाया जाता है। इस स्थिति में वादीगण को किसी भी प्रकार से वरवक्त सेटलमेन्ट के दौरान कब्जा काश्त न होने के तथ्यों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। यदि रामेदव का नाम का व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजीयात राज्य सरकार के खाते में निहित होनी चाहिये। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार बाबत माननीय राजस्व मंडल अजमेर की फुल बेन्च के द्वारा पारित निर्णय आर.आर.डी. 2011 पेज 508 से न्यायिक स्थिति स्पष्ट है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर स्पष्ट है कि अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात को राज्य सरकार में समाहित किये का सही निर्णय पारित किया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2012 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर